न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी राजेश सुवालका (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या/90/2020 वाद

दायर दिनांक 27.10.2020

उनवान

1. शांतिलाल पुत्र बंशीलाल जाति अहीर आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

1. रतनी पत्नी भैरूलाल जाति अहीर आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. तहसीलदार कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।

उपस्थितिः— अधिववक्ता श्री सैयद अशफाक अली —वादी

अधिववक्ता श्री कैलाश वैष्णव —प्रतिवादी सं0 1

—: वाद पत्र अन्तर्गत 53, 188 आर.टी.एक्ट :—

निर्णय दिनांकः 08.05.2025

—:निर्णयः—

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया कि मौजा मुंगाना पटवार हल्का मुंगाना तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में आ0 न0 1414 रकबा 0.0800 है0, आ0 न0 3625 रकबा 0.4300 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.5100 हेक्ट0 है, जिसमें वादी का 1/2 , प्रतिवादी का 1/2 हिस्सा रेवेन्यू रेकार्ड में दर्ज है। यह कि उक्त वादग्रस्त आराजीयात रेवेन्यू रेकार्ड में संयुक्त दर्ज है। और मौके पर अन्दाजिया नपती से आपसी तौर पर बटवाडा कर उक्त वर्णित आराजीयात का उपयोग उपभोग कर रहे हैं उक्त वर्णित आराजीयात का लगान जमा कराने में, कृषि ऋण एवं अन्य ऋण लेने से शामिल खाता होने की वजह से तथा बराबर 1/2 हक हिस्सा मौके पर नाप का विवाद होने से ववादी एवं प्रतिवादी संख्या एक के बीच हर समय विवाद होता है इस कारण राजस्व रेकार्ड में एवं मौके पर उक्त वर्णित आराजीयात का बटवाडा कराया जाना आवश्यक हो गया है।

यह कि उक्त वर्णित आराजीयात के लिये वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक के बीच 1/2 के हिस्से से बराबर हक से बटवाडा कराया जाने के पश्चात् वादी के हिस्से की 1/2 आराजीयात की सीमाबन्दी होने के बाद वादी के हिस्से कब्जे से आयी उक्त वर्णित आराजीयात के 1/2 भाग में प्रतिवादी संख्या एक स्वयं एवं उसके परिवारजन, नौकर, एजेन्ट किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें। वादी के उपयोग उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे व न करावें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादी संख्या एक को पाबन्द कराया जाना आवश्यक है।

अतः वादी ने प्रार्थना की कि वाद वर्णित आराजीयात का 1/2 हक हिस्से से बराबर बटवाडा कराया जाकर उसी अनुसार मौके पर सीमाबन्दी करा कर राजस्व रेकार्ड में 1/2 हक से अलग खाताबन्दी कराये जाने की डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी सादिर फरमायी जावें। तथा वाद वर्णित आराजीयात का 1/2 हक से हिस्सा बटवाडा कराये जाकर मौके पर सीमाबन्दी कराये जाने के बाद वादी के हिस्से में आयी आराजीयात के उपयोग उपभोग में प्रतिवादी संख्या एक कोई बाधा रूकावट या दखलन्दाजी नहीं करे इस आशय की डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण सादीर फरमायी जावें।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश वैष्णव ने अधिकार पत्र मय इकबालिया/राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौके अनुसार बटवाडा बाबत् सहमत है।

उक्त वाद पत्र में दिनांक 01.09.2021 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जिस पर तहसीलदार कपासन द्वारा बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 03.01.2024 से प्रस्तुत की गई। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा निवेदन कर आ0नं0 3625 का पूर्व में दिनांक 30.11.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान में वादी और प्रतिवादी में आपस में सहमति बंटवाडा हो जाने से तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट अनुसार आराजी संख्या 1414 रकबा 0.08 हैक्ट0 में अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया व आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। अतः वादी अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार किया जाकर आज दिनांक 08.05.2025 को वाद पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री इस आशय की दी जाती है की मौजा गुंगाना पटवार हल्का गुंगाना तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में आ0 न0 1414 रकबा 0.08 हैक्ट0, स्थित है, में तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 03.01.2024 के अनुसार निम्नानुसार बंटवाडा किया जाता है–

1. शान्तिलाल पिता बंशीलाल जाति अहीर हिस्सा पूर्ण सा0 देह खातेदार

   रहन – एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा कपासन

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	1414/1	0.04	बारानी A
योग	कुल किता–01	0.04	

2. रतनी पत्नी भैरूलाल जाति अहीर हिस्सा पूर्ण सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	1414/2	0.04	बारानी A
योग	कुल किता–01	0.04	

तदनुसार अंकन हो। रहन बदस्तुर रहे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें, अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो व पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 08.05.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश सुवालका)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन